CNR No - UPME01-008709-2019


NITIN GOEL
Advocate
Regn. No. 5123/05
47, Teen Shade, Civil Court
Meerut, Mob.: 9917000868


न्यायालय सिविल जज (सीनियर डिवीजन) मेरठ

वाद संख्या 104 सन 2019

आदित्य बनाम योगेश कुमार वर्मा

5 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

CANCELLED

-3 JAN 2020

न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश मेरठ

-3 JAN 2020

-3 JAN 2020

19/12/19

न्यायालय सिविल जज (सी0डि0), मेरठ।

मूल वाद सं0 104/2019

श्री आदिनाथ एस्टेट डवलपर्स बनाम योगेश कुमार त्यागी आदि

25.05.2019–

पत्रावली आदेशार्थ सन्धि पत्र 32क नियत है। पक्षों द्वारा सन्धि पत्र 32क के आधार पर वाद निर्णीत किये जाने का निवेदन किया गया। सन्धि पत्र 32क की शर्तें उभयपक्ष को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया, जिस पर पक्षों द्वारा सहमति व्यक्त की गयी। सन्धि पत्र 32क समक्ष न्यायालय दिनांक 14.05.2019 को विधिनुसार सत्यापित किया गया है। सन्धि पत्र 32क पक्षों ने बिना किसी जोर दबाव के आपसी सहमति से तैयार कर प्रस्तुत किया है।

अतएव वाद सन्धि पत्र 32क के आधार पर कतिपय शर्तो के अधीन निर्णीत होने योग्य है।

आदेश

मूल वाद सं0 104/2019 सन्धि पत्र 32क के आधार पर निर्णीत किया जाता है। सन्धि पत्र 32क निर्णय एवं आज्ञप्ति का अंश होगा। चूंकि प्रश्नगत सम्पत्ति, जिसका विवरण वाद पत्र में वर्णित है, में वादी का कोई हित पूर्व से निहित अथवा अस्तित्व में नहीं रहा है वरन् सन्धि पत्र 32क के माध्यम से उपरोक्त सम्पत्ति के बाबत वादी के पक्ष में स्वत्वाधिकार का सृजन हो रहा है जो अप्रत्यक्ष रूप से सम्पत्ति का अन्तरण है। अतएव प्रश्नगत सम्पत्ति के सम्बन्ध में सन्धि पत्र के आधार पर पारित निर्णय एवं आज्ञप्ति प्रचलित पंजीयन विधि के अन्तर्गत विधिनुसार पंजीयन उपरान्त प्रभावी माना जायेगा अर्थात माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था ***भूपसिंह बनाम रामसिंह मेजर ए0आई0आर0 1996 (एस0सी0) 196*** के अनुसार निर्धारित स्टाम्प शुल्क आदि अदा करने के उपरान्त ही विवादित सम्पत्ति/भूमि पर स्वत्व एवं अधिकार का सृजन होगा। उपरोक्त के अलावा सन्धि पत्र 32क के आधार पर पारित निर्णय एवं आज्ञप्ति का प्रभाव वाद के पक्षकारान के अतिरिक्त किसी तृतीय पक्ष, वित्तीय संस्थान अथवा राज्य सरकार की सम्पत्ति/हित के प्रतिकूल नहीं होगा।

दिनांक–25.05.2019

(रामानन्द)
सिविल जज (सी0डि0), मेरठ।

COPY XEROXED & COMPARED
WORDS COUNT... 100
CIVIL COURT. MEERUT

प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिक
जजी, मेरठ

3 JAN 2020